सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 18 राँची, बुधवार, 9 अग्रहायण, 1938 (श०)
30 नवम्बर, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-45/2015-187/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक **17 अक्टूबर, 2016** को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, **2015**

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 24, 2016)

कारखाना अधिनियम **1948** को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :-

(1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, **2015** है ।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2- **1948** के केन्द्रीय अधिनियम सं०- **63** की धारा **2** का संशोधन- (कारखाना अधिनियम) **1948** (**1948** के केन्द्रीय अधिनियम सं०- **63**), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, झारखण्ड राज्य में इसके लागू होने के निमित्त इसकी धारा **2** में :-

(i) खण्ड (ड) के उप-खण्ड **(ii)** में, विद्यमान शब्द "दस" 'के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा, और

(ii) खण्ड (ड) के उप-खण्ड **(ii)** में विद्यमान शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" 'प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3- **1948** के केन्द्रीय अधिनियम सं०-**63** की धारा **85** का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा **85** की उप धारा **(1)** के खण्ड **(i)** में विद्यमान शब्द "दस" और "बीस" के स्थान पर क्रमशः शब्द "बीस" और "चालीस" 'प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4- **1948** के केन्द्रीय अधिनियम सं०-**63** में नयी धारा **106** ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 1**06** क के पश्चात् और विद्यमान धारा **107** क पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात्:-

"106" ख. अपराधों का शमन :-

(1) निरीक्षक राज्य सरकार के इस निमित्त किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए] इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और पहली बार कारित किसी अपराध का, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसी प्रशमन फीस की रकम की वसूली पर जो वह ठीक समझे, जो उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो, शमन कर सकेगा । और जहाँ इस प्रकार अपराध का शमन:-

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा, और यदि अभिरक्षा में हो, तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा ।

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया गया हो तो शमन अपराधी की दोषमुक्ति के बराबर होगा ।

(2) उपधारा **(1)** में उल्लेखित प्रावधान निम्नलिखित प्रकृति के अपराधों के लिए लागू नहीं होंगे:-

(i) मूल अधिनियम के अध्याय- **IV** ए में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित ।

(ii) मूल अधिनियम की धारा-**87** में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित ।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-45/2015-188/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक **17 अक्टूबर, 2016** को अनुमत कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, **2015** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE FACTORIES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2015

(Jharkhand Act No. 24, 2016)

An Act

Further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India. as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) This Act may be called the Factories (Jharkhand Amendment) Act, 2015.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

   (3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of section 2, Central Act No. 63 of 1948.**-In section 2 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Jharkhand, hereinafter referred to as the principal Act.

   (i) in sub-clause (i) of clause (m), for the existing word "ten" the word "twenty" shall be substituted; and

   (ii) in sub-clause (ii) of clause (m), for the existing word "twenty" the word "forty" shall be substituted.

3. **Amendment of section 85, Central Act No.63 of 1948**.- In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the existing words "ten" and "twenty" the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

4. **Insertion of new section 106B, Central Act No-63 of 1948**.-After the existing section 106A and before the existing section 107 of the principal Act, the following shall be inserted. Namely :-

"**106B. Compounding of offences**.-

(1) The Inspector may subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence, and where the offence is so compounded.-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty:

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.

(2) Nothing in sub section (1) shall apply to the offences:

(i) relating to the provision of chapter-IVA of the principal Act.

(ii) relating to Section 87 of the principal Act."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 18--50